दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:10 जनवरी, 2024

मध्य.या. 134/2023

मैसर्स ओपुस्कर्ट एंटरप्राइजेज एवं अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री श्याम कुमार और सुश्री इकरा खान,अधिवक्तागण (मोबाइल- 9999154100)

बनाम

कौशल किशोर त्यागी ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुहैल सहगल और श्री प्रशांत द्रोलिया, अधिवक्तागण (मोबाइल- 9582111448)

कोरमः

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

<u>न्या. (मौखिक) प्रतिभा एम. सिंह</u>

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत वर्तमान याचिका निम्नलिखित व्यक्ति के बीच 27 जून, 2016 को एक साझेदारी विलेख से उत्पन्न होती हैः

1. श्री प्रशांत शर्मा

2. श्री जयंत भंडारी

3. श्री जयंत सती

4. श्री मोहित शर्मा

5. श्री कौशल किशोर त्यागी

3. साझेदारी विलेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपरोक्त पक्ष पुस्तकों और किसी भी अन्य व्यवसाय के व्यापार, आयात और निर्यात के व्यवसाय को जारी रखने का इरादा रखते थे, जिसे भागीदार 266 E/3/1C दूसरी मंजिल, वार्ड सं. 2, खसरा सं.1151/3, महरौली, नई दिल्ली-110030 पर अपने मुख्य कार्यालय में निपटाना चाहते थे। साझेदार इस बात पर भी सहमत हुए कि साझेदारी व्यवसाय का नाम मेसर्स ओपस्कार्ट एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाएगा। यह साझेदारी 27 जून, 2016 से लागू हुई और आज तक भी बनी हुई है। पक्षकारगण के संबंधित शेयर साझेदारी विलेख में निहित हैं। साझेदारी विलेख के अनुच्छेद 12 में प्रत्येक भागीदार को न्यायपूर्ण और वफादार होने और अन्य भागीदारों को फर्म से संबंधित सही खाते और पूरी जानकारी देने और अपने स्वयं के निजी ऋणों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक खंड 12 निम्नलिखित हैः

> *"12. कि प्रत्येक भागीदार -*
> *(क) एक-दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण और वफादार रहें और फर्म को प्रभावित करने वाली सभी चीजों का सही लेखा और पूरी*

जानकारी अन्य भागीदारों को और भागीदार की मृत्यु के मामले में अपने कानूनी प्रतिनिधि को दें।
(ख) अपने अलग और निजी ऋणों का स्वयं भुगतान करें और अपने खाते में साझेदारी को नुकसान होने की स्थिति में साझेदारी के अन्य भागीदार या भागीदार को उसके संबंध में सभी कार्यवाही, दावों या मांगों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे।"

4. याचीगण का मामला यह है कि प्रत्यर्थी - श्री कौशल किशोर त्यागी फर्म के धन के दुरुपयोग में शामिल हैं। तदनुसार, 18 जून, 2021 को नोटिस जारी किया गया था जिसमें शुरू में रु. 60,50,000/- का दावा किया गया था। 28 जून, 2021 को उक्त नोटिस का जवाब जारी किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी ने कहा था कि साझेदारी फर्म में भागीदार होने के अलावा, उक्त भागीदार मेसर्स ओपस्कार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक भी हैं। कानूनी नोटिस के उक्त जवाब में, प्रत्यर्थी द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि याची दोनों फर्म और कंपनी के व्यवसाय को लूटकर, हड़पकर भागने का इरादा रखते हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस का खंडन किया जाता है।

5. इसके बाद, याचीगण ने 25 जून, 2022 के पत्र के माध्यम से मध्यस्थता खंड को लागू किया, जिसमें 3.88 करोड़ रुपये के दावे किए गए हैं। उक्त नोटिस की तामील के बाद कोई जवाब न मिलने पर वर्तमान याचिका दायर की गयी है।

6. इस याचिका में 7 फरवरी, 2023 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और याचिका सुनवाई के लिए लगा दी गई है।

7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम कुमार का कहना है कि मोटे तौर पर जवाब में उठाई गई आपत्तियाँ हैं:

i) साझेदारी विलेख का खंड 16 भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को संदर्भित करता है न कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को;

ii) कि मध्यस्थता समझौता अप्रकाशित है;

iii) कि प्रारंभिक नोटिस और मध्यस्थता लागू करने वाले नोटिस में दावा की गई रकम में भिन्नता है;

iv) कि कंपनी से संबंधित दावों को मध्यस्थता नोटिस के हिस्से के रूप में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि कंपनी मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष नहीं है;

v) कि दावे सीमितता से वर्जित हैं।

उपरोक्त प्रत्येक तर्क के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलें दी हैं।

8. आपत्ति (i) अर्थात समझौते में संदर्भित अधिनियम के संबंध में उनका यह कहना है कि वह यह तर्क देने के लिए कि क़ानून के ग़लत संदर्भ के कारण

मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा, ***पुरूषोतम पुत्र तुलसीराम बडवाइक बनाम अनिल एवं अन्य अर्थात [वि.अनु.या. (सिविल) सं. 14589/2016, 4एससीसी (सि.) 21]*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

9. जहां तक बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते यानी आपत्ति (ii) का संबंध है, अधिवक्ता द्वारा सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ के हाल के निर्णय पर भरोसा किया गया है: ***मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच परस्पर क्रिया और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1666)*** जो मानता है कि मध्यस्थता लागू करने के लिए मध्यस्थता समझौते पर मुहर लगाना अनिवार्य नहीं है।

10. जहां तक दावा नोटिस में भिन्नता का सवाल है, यह युवा कार्य और खेल मंत्रालय बनाम एजिलिटी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड [मू.वि.या. (वाणि.) 95/2019, 7 अप्रैल, 2022, 2022 को निर्णय: डीएचसी: 1258 में इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश के निर्णय के आधार पर उनका प्रस्तुतीकरण है।] मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पत्र में राशि की मात्रा निर्धारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, कोई भी विसंगति मध्यस्थ के आह्वान या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

11. जहाँ तक साझेदारी फर्म और कंपनी से संबंधित दावों का संबंध है, यह उनका निवेदन है कि प्रत्यर्थी अपने निजी और व्यक्तिगत खर्चों के उद्देश्यों के

लिए व्यवसाय द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर रहा था और विभिन्न हस्तांतरण किए गए थे जो अनधिकृत थे और भागीदारों की जानकारी में नहीं थे। चूँकि फर्म और कंपनी के बीच व्यवसाय सामान्य था, इसलिए दावा मध्यस्थता योग्य है।

12. जहां तक सीमा के मुद्दे का संबंध है, वह प्रस्तुत करता है कि हेराफेरी 2016 से हुई होगी, लेकिन सीमा उस समय से चलती है जब याची कथित गबन की जानकारी प्राप्त करते हैं। याचिका के अनुसार, यह उनका मामला है कि याचीगण की फर्म को एहसास हुआ कि केवल 2020 में हेराफेरी हुई थी और मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस 25 जून, 2022 को भेजा गया था जो सीमा की अवधि के भीतर था।

13. प्रत्यर्थी की ओर से, विद्वान अधिवक्ता श्री सुहैल सहगल ने केवल दो व्यापक आपत्तियाँ उठाई हैं। सबसे पहले, कि फर्म या कंपनी से संबंधित दावों को वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही के हिस्से के रूप में नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि न तो फर्म और न ही कंपनी मध्यस्थता समझौते के पक्षकार हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि परीक्षित लेखा पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इसलिए यह दावा कि याचीगण ने केवल 2020 में ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें कोई दम नहीं है। इस प्रकार उनका कहना है कि दावे सीमा से वर्जित हैं।

14. इसके अलावा, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कंपनी खातों से संबंधित राशियाँ मध्यस्थता योग्य नहीं होंगी और किसी भी मामले में फर्म स्वयं मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष नहीं है, कोई भी मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

15. न्यायालय ने मामले पर विचार किया और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

16. साझेदारी विलेख के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि पक्षों का इरादा सभी पुस्तकों के व्यापार, आयात और निर्यात के व्यवसाय को जारी रखना था और किसी भी अन्य व्यवसाय को भी जिससे भागीदार निपटना चाहते हैं।

17. साझेदारी विलेख का खंड 16 जो मध्यस्थता खंड है, निम्नानुसार हैः

> *"16. विलेख या उसके किसी भाग के निर्माण अर्थ और* ***<u>प्रभाव के संबंध में या खातों, लाभ या हानि या व्यवसाय या अधिकार और इस विलेख के तहत भागीदारों की देनदारियों</u>*** *या व्यवसाय के विघटन या समापन, या फर्म के संबंध में किसी भी अन्य मामले के संबंध में पक्षों या उनके प्रतिनिधि के बीच साझेदारी के निर्धारण से पहले या बाद में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या अंतर भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।"*

18. साझेदारी विलेख में मध्यस्थता खंड अपने आप में काफी व्यापक है और विलेख या उसके एक हिस्से के निर्माण, अर्थ और प्रभाव के संबंध में पक्षों के बीच

विवादों और मतभेदों से संबंधित है। खंड में खातों, लाभ और हानि या व्यवसाय या भागीदारों के अधिकारों और देनदारियों के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद को भी शामिल किया जाएगा। यह वाक्यांश साझेदारी विलेख में पक्षों के सभी व्यवसायों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

19. प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस का जवाब इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि भागीदारों ने उस कंपनी को शुरू किया था जो फर्म के रूप में सामान्य व्यवसाय कर रही थी। दरअसल, जवाब में, प्रत्यर्थी ने फर्म और कंपनी का बार-बार संदर्भ दिया है, जिससे न्यायालय को स्पष्ट रूप से यह आभास होता है कि याचीगण का यह रुख कि पांच भागीदारों के बीच व्यापार सामान्य है, सही है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28 जून, 2021 को दिए गए उत्तर के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

> ***"इस मामले के सही तथ्य और परिस्थितियाँ यह हैं कि मेरे मुवक्किल श्री कौशल किशोर त्यागी आपकी मुवक्किल फर्म मेसर्स ओपस्कार्ट एंटरप्राइजेज के भागीदारों में से एक हैं जो 27 जून, 2016*** *से पुस्तकों की ऑनलाइन/ई-कॉमर्स बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। मेरे मुवक्किल ने बहुत कड़ी मेहनत की है, दिन-रात काम किया है और अपने मुवक्किल की कंपनी के व्यवसाय को वर्षों तक बढ़ाने और लाभदायक बनाने के लिए अपने बुद्धिमान व्यावसायिक कौशल और व्यावसायिक समझ का उपयोग किया है। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि आपकी मुवक्किल फर्म मेसर्स ओपस्कार्ट एंटरप्राइजेज में भागीदार होने के अलावा,*

उपरोक्त 04 भागीदार मेरे मुवक्किल और एक अन्य व्यक्ति श्री कुन्दल लाल पुत्र श्री जोगा राम के साथ कंपनी मेसर्स ओपस्कार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

फर्म एवं उक्त कंपनी के व्यवसाय को विगत वर्षों में बढ़ते एवं अत्यधिक लाभदायक होते देख उपरोक्त 04 साझेदारों की मंशा बेईमान एवं कपटपूर्ण हो गयी है ***<u>एवं वे चाहते हैं कि मेरे मुवक्किल को आपके मुवक्किल फर्म के साथ-साथ उपरोक्त कंपनी मेसर्स ओपस्कार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोनों से अलग/निष्कासित/बाहर कर दिया जाए</u>*** *और उन दोनों के व्यवसाय पर कब्ज़ा करके भाग जाया जाए। जाहिरा तौर पर, उक्त साझेदारों/निदेशकों के पास आपके मुवक्किल फर्म और उपरोक्त कंपनी के धन और व्यवसाय के लिए उनके प्रतीत होने वाले लालच के अलावा उस तरीके से व्यवहार करने और आचरण करने का कोई कानूनी अधिकार और वैध कारण नहीं है।*

XXX XXX XXX

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मेरे मुवक्किल के स्थान पर, ***<u>यह आपके मुवक्किल यानी शेष 04 भागीदार या आपकी मुवक्किल फर्म हैं, जिन्होंने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत और साजिश रची है और कंपनी के निदेशकों में से एक कुंदन लाल ने कहा कि एक ओर मेरे मुवक्किल और दूसरी ओर आपकी मुवक्किल फर्म मेसर्स ओपस एंटरप्राइजेज और मेसर्स ओपस्कार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साथ धोखाधड़ी की है, जबकि उन्हें आईसीआईसी' बैंक की शाखा, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद में उक्त कंपनी के नाम पर एक नया बैंक खाता मिला है।</u>*** *मेरे मुवक्किल के पीछे और उसकी जानकारी और अनुमोदन के बिना और उसके बाद*

कंपनी की पूरी निधि यानी रु. 32,90,000-आई. सी. आई. सी. आई. बैंक की यू. पी. शाखा के चिरंजीव विहार, शास्त्री नगर, गाजियाबाद में कंपनी के पिछले मौजूदा खाते में उनके द्वारा उपरोक्त ग्रीनफील्ड कॉलोनी, आई. सी. आई. ओ. बैंक की फरीदाबाद शाखा में खोले गए नए खाते में उपलब्ध है और उसके बाद कंपनी के धन को उनके व्यक्तिगत खातों में नए खाते में स्थानांतरित किया जाता है, जो कंपनी कानून के तहत प्रभावशाली है और कंपनी और मेरे मुवक्किल के साथ एक खुली धोखाधड़ी है।"

20. उपरोक्त जवाब अपने आप में काफी खुलासा करने वाला है, अर्थात, साझेदारों ने फर्म और कंपनी शुरू की थी और उनके बीच उनके व्यवसाय के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए हैं। खंड की व्यापक प्रकृति, प्रत्यर्थी द्वारा अपनाए गए आधार पर विचार करते हुए यह स्थिति है कि फर्म या कंपनी से संबंधित खाते मध्यस्थता योग्य नहीं होंगे, मान्य नहीं होंगे क्योंकि भागीदारों के बीच व्यवसाय से संबंधित कोई भी विवाद मध्यस्थता योग्य होगा। चूँकि साझेदारों द्वारा व्यवसाय फर्म और कंपनी दोनों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, इसलिए उठाए गए विवाद मध्यस्थता योग्य होंगे। इसके अलावा, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा ***कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (एमएएनयू/एससी/1310/2023)*** के मामले में निर्धारित किया गया है। एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी कंपनी या मूल कंपनी मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष हो

सकती है यदि इस आशय के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं का पारस्परिक इरादा है। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

> *"219. किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता के साथ मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व व्याख्या और निर्माण का विषय है। पक्षकारगण द्वारा उपयोग किए गए स्पष्ट शब्द न्यायालय को पक्षकारगण के इरादे और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए उनके समझौते का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। **व्यक्त शब्दों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए, न्यायालय या न्यायाधिकरण आसपास की परिस्थितियों जैसे अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य और अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और निर्वहन के दौरान पक्षकारगण के आचरण पर गौर कर सकता है। अनुबंध की व्याख्या और निर्माण करते समय, न्यायालय या न्यायाधिकरण अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को अपना सकते हैं, जो उचित निर्णय और निर्धारण में सहायता करते हैं। कंपनी समूह सिद्धांत ऐसा ही एक सिद्धांत है। इसे न्यायालयों या मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा समझौते के रिकॉर्ड की व्याख्या करते समय यह निर्धारित करने के लिए अपनाया जा सकता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी इसमें एक पक्ष है या नहीं।***
>
> *220. हालाँकि भारत में कंपनी समूह के सिद्धांत का अनुप्रयोग अब तक धारा 7 से स्वतंत्र रहा है, लेकिन धारा 7(4)(ख) केस-कानून के साथ इसकी तुलना से पता चलता है कि दोनों के तहत जांच पारस्परिक इरादे को निर्धारित करने पर आधारित है। पक्षकारगण को मध्यस्थता के लिए*

प्रस्तुत करना होगा। पक्षकारगण की आपसी मंशा उनसे स्पष्ट होती है अनुबंध के निष्पादन में आचरण और यह पूछताछ धारा 7(4)(ख) न्यायशास्त्र और कंपनी समूह सिद्धांत के लिए सामान्य है। ***यहां तक कि सिद्धांत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिसालें भी, कंपनियों के एक ही समूह में गैर-हस्ताक्षरकर्ता के अलावा अतिरिक्त कारकों पर ध्यान देती हैं, जैसे विषय-वस्तु की समानता, लेन-देन की समग्र प्रकृति, और आपसी इरादे को निर्धारित करने के लिए अनुबंधों के प्रदर्शन की अन्योन्याश्रयता।***

221. चूँकि धारा 7 (4) (ख) और कंपनी समूह के सिद्धांत के तहत न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष मौलिक मुद्दा एक ही है, ***इसलिए सिद्धांत को धारा 7 (4) (ख) के भीतर शामिल किया जा सकता है। नतीजतन, समझौते का रिकॉर्ड जो अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता के आचरण और हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ इसके प्रत्यक्ष संबंध, विषय-वस्तु की समानता और लेनदेन की समग्र प्रकृति जैसी आसपास की परिस्थितियों का प्रमाण देता है, का व्यापक रूप से उपयोग गैर-हस्ताक्षरकर्ता के साथ मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए।*** *इस जांच में, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के कंपनियों के एक ही समूह का हिस्सा होने का तथ्य इसके निष्कर्ष को मजबूत करेगा। इस दृष्टि से, कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 7 में सांविधिक रूप से निहित होगा।*

21. जहां तक परिसीमन का सवाल है, परिसीमा का मुद्दा दावे दायर होने के बाद ही उठेगा और उक्त मुद्दे पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

22. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय आश्वस्त है कि यह पक्षकारगण के बीच विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का मामला है। तदनुसार, श्री **न्यायमूर्ति वी.के. जैन (सेवानिवृत्त) (एम:9650116555)** को पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। एकमात्र मध्यस्थ को अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी विद्वान एकमात्र मध्यस्थ को किसी अंतरिम आवेदन या अंतिम पुरस्कार में बाध्य नहीं करेगी।

24. पक्षकार 23 जनवरी, 2024 को विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होंगे।

25. याचिका का निपटारा इन शर्तों में किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

प्रतिमा एम. सिंह
न्यायाधीश

10 जनवरी, 2024
राहुल/बीएच

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण*:** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*